

R M वाट्ट सं० 134/17-18

**अभिलेख उपस्थापित :-** अंचल अधिकारी, सोनाहातु का पत्रांक-371(ii) दिनांक-20/12/2018 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हैं। अभिलेख के साथ संलग्न जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है।

1. प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत का नाम धनीराम महतो वल्द लोहरा महतो वो शोमा महतो वल्द वलराम महतो कौम कुरमी साकिन देह टोला काँशीडीह वरावर दर्ज है।

2. खतियानी रैयत के साथ आवेदक का संबंध पोता का पत्नी है।

3. पंजी-II के अनुसार रैयत का नाम मो० रजु जौजे धनीराम महतो वो सोमा महतो पिता-वलराम महतो है, तथा रैयत के कुल रकवा-11.24 एकड़ भूमि है।

4. विक्रेता जमाबंदी रैयत के पुत्र है, तथा खतियानी के आधार जमाबंदी कायम है।

5. सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन कायमी किस्म की है।

6. प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2015-16 तक वसूली गयी है।

7. प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात बिक्रेता क पास भूमि नहीं बचता है।

8. बिक्रेता प्रस्तावित जमीन को खेती करने में असमर्थ होने हेतु विक्रय कर रहे हैं।

9. क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक पिछड़ी कुरमी के सदस्य है।

10. क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक ही जिला राँची के निवासी है।

11. राजस्व कर्मचारी के अनुशंसा अनुसार आवेदित भूमि मौजा-गलऊ, थाना-नं०-67 अन्तर्गत खाता नं०-208 रकवा-0.93 एकड़ भूमि बिक्री अनुमति हेतु श्री बाऊरी महतो द्वारा आवेदन किया गया है। सर्वे खतियान में धनीराम महतो वल्द लोहरा महतो वो शोमा महतो वल्द वलराम महतो दर्ज है। राजस्व पंजी-II में मो० रजु जौजे धनीराम वो सोमा महतो पिता-वलराम महतो के नाम से खाता नं०-208 रकवा-11.24 एकड़ भूमि का जमाबंदी दर्ज है। खतियान में कुल 13 रकवा 11.24 एकड़ भूमि है। आवेदक बाऊरी महतो अपने पुत्री को अपने हिस्से की 2.79 एकड़ भूमि मध्ये 0.93 एकड़ भूमि बिक्री करना चाहते है परन्तु किस प्लॉट से कितना रकवा यह स्पष्ट नहीं है एवं बँटवारा सम्बन्धित कागजात संलग्न नहीं है।

अतः पंजी-II रैयतों/हिस्सेदारों को खास सूचना के पश्चात उनके द्वारा यदि आपत्ति नहीं किया जाता है तो भूमि बिक्री अनुमति देने की अग्रतर कार्रवाई किया जा सकता है।

12. अंचल निरीक्षक के अनुशंसा के अनुसार हल्का कर्मचारी के प्रतिवेदन का अवलोकन किया एवं राजस्व कागजात का मिलान किया। आवेदक बाऊरी महतो द्वारा मौजा-गलऊ थाना नं०-67 खाता नं०-208 रकवा-93 डी० भूमि बिक्री हेतु बिक्री अनुमति का आवेदन किये है। आवेदक बाऊरी महतो आपने पुत्री को अपने हिस्से की भूमि 2.79 एकड़ में 93 डी० भूमि बिक्री करना चाहते है। हल्का कर्मचारी के द्वारा प्रतिवेदन किया है कि भूमि बिक्री से संबंधित अन्य हिस्सेदारों द्वारा बँटवारा किय गये

8

कागजात संलग्न नहीं किया गया है तथा किस प्लॉट से कितना भूमि बिक्री किया जाना है। इस संबंध कोई भी कागजात संलग्न नहीं किया गया है। जबतक अन्य हिस्सेदारों द्वारा भूमि बँटवारा संबंधित कागजात या सहमति प्राप्त नहीं होता है तबतक भूमि बिक्री हेतु बिक्री अनुमति देना विधि सम्यत नहीं होगा।


अतः आवेदक के अन्य हिस्सेदारों से बँटवारा नामा कागजात उपलब्ध होने के पश्चात बिक्री अनुमति देना उचित प्रतीत होता है।


अंचल अधिकारी, सोनाहातु के पत्रांक-371(ii) दिनांक-20/12/18 के द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में बिक्री हेतु अनुमति वाद को अस्वीकृत किया जाता है।

### भूमि का विवरण

मौजा	थाना / थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
गलरु	सोनाहातु / 67	208	434	15.5 डी०
			437	43.5 डी०
			651	05.5 डी०
			654	65.00 डी०
			665	16.00 डी०
			675	09.5 डी०
			768	20.5 डी०
			781	06.33 डी०
			798	29.25 डी०
			945	32.00 डी०
			754	11.5 डी०
				कुल:-2.79 ए०मध्ये 93 डी०

लेखापित एवं संशोधित।

  
10/01/19  
भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
बुण्डू (राँची)

  
10/01/19  
भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
बुण्डू (राँची)